आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा

सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आभासी (Virtual) सुनवाई के माध्यम से

आ.अ.सं. 263 /इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2015-16 (क्यू-1 26 क्यू)

मेवाड़ा इंफ्राबिल्ड प्रा.लि., महू	बनाम	आयकर उपायुक्त, सीपीसी-टीडीएस, गाजियाबाद
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएईसीसी 3296 के		

आ.अ.सं. 264 /इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2015-16 (क्यू-1 26 क्यू)

मेवाड़ा मेटीकेयर एंड आईकेयर हॉस्पीटल प्रा.लिमिटेड, महू	बनाम	आयकर उपायुक्त, सीपीसी-टीडीएस, गाजियाबाद
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएएचसीएम 5262 सी		

आ.अ.सं. 265 तथा 266 /इंदौर/2020

निर्धारण वर्ष : 2015-16 (क्यू-1 26 क्यू) तथा (क्यू-1 24 क्यू)

मेवाड़ा मेकाडम प्रा.लि., महू	बनाम	आयकर उपायुक्त, सीपीसी-टीडीएस, गाजियाबाद
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.- एएडीसीएम 1887 डी		

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री प्रकाश जैन तथा श्रीमती श्रेया जैन, सीए
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	:	18.08.2021
उद्घघोषणा तिथि	:	28.09.2021

<u>आदेश</u>

<u>श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य द्वारा</u>

निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित अलग-अलग निर्धारितियों की अपीलें विद्वान आयकर आयुक्त (अपील)-1, इंदौर के आदेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 200ए के अधीन अलग-अलग आदेशों सभी दिनांक 30.10.2017 के विरूध्द अपील के आधारों में वर्णित आधारों पर निदेशित है । चूंकि इन सभी अपीलों में समान तथ्य अंतर्ग्रस्त है अतः इन्हें इस समेकित आदेश द्वारा निपटान किया जा रहा है ।

2. ये सभी अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियों को दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण के संबंध में है । सुनवाई के दौरान, निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इन सभी प्रकरणों में, टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । अतः समकक्ष न्यायपीठ इंदौर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल तथा अन्य के प्रकरण में आ.अ.सं.

727/इंदौर/2017 तथा अन्य में आदेश दिनांक 13.11.2018 में निर्णय पूर्णतः निर्धारिती के पक्ष में आवृत्त है ।

3. दूसरी ओर विभागीय प्रतिनिधि ने निम्न प्राधिकारियों के आदेशों पर निर्भरता रखी परंतु निर्धारिती के विद्वान अधिवक्ता के निवेदनों का खंडन नहीं कर पाये ।

4. हमने परस्पर विरोधी दावों को सुना है तथा हमारे समक्ष रखे गए अभिलेखों का अवलोकन किया है । वर्तमान अपीलें तिमाही टीडीएस विवरणियां दाखिल करने में विलंब के लिए धारा 234 ई के अधीन फीस के अधिरोपण से संबंधित है । यह विवादित नहीं है कि इन प्रकरणों में टीडीएस विवरणी दाखिल करने की तारीख तथा धारा 200 ए के अधीन विवरणी संसाधित करने की तारीख 1 जून, 2015 के पहले की है । वित्त अधिनियम, 2015 के द्वारा अधिनियम की धारा 200 ए के उपबंधों में 01.06.2015 से प्रभावी रूप से संशोधन किया गया था जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 200ए के अधीन तिमाही विवरणी संसाधित करते समय टीडीएस विवरणी दाखिल करने में विलंब के लिए अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस अधिरोपित की जा सकती है । विभिन्न माननीय न्यायालयों तथा अधिकरणों ने अभिधारित किया है कि 01 जून, 2015 से पूर्व अधिनियम की धारा 200 ए के अधीन संसाधित विवरणियों में अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन फीस का अधिरोपण न्यायसंगत नहीं है । इस न्यायपीठ द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल (उपरोक्त) प्रकरण में विभिन्न निर्णयों पर निर्भरता रखते हुए धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित इस प्रकार की फीस हटाई गई है । हमारे विचारपूर्ण अभिमत में, इस अधिकरण का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गेंदा चौक, बैतुल (उपरोक्त) प्रकरण में यह निर्णय वर्तमान अपीलों में

लिए गए समान मुद्दों पर पूर्णतः लागू है । अतः हम इस न्यायपीठ के पूर्ववर्ती आदेश का अनुसरण करते हुए वर्तमान प्रकरणों में लिए गए आधारों को स्वीकृत करते हैं तथा अधिनियम की धारा 234 ई के अधीन अधिरोपित फीस को हटाते हैं । इस प्रकार निर्धारितियों द्वारा दाखिल अपीलें स्वीकृत की जाती हैं।

6. परिणामतः निर्धारितियों की अपीलें स्वीकृत की जाती हैं ।

यह आदेश 28.09.2021 को आयकर अपीलीय अधिकरण नियम, 1963 के नियम 34 के अंतर्गत उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 28.09.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल